न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— जोगेन्द सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 01/2025 अपील नामान्तरणकरण

01. चन्द्रप्रकाश जीनगर, पटवारी पटवार हल्का दहीमथा तहसील करेड़ा हाल पटवारी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0) —— अपीलार्थी

बनाम

01. अनिल कुमार पुत्र श्री शांति लाल ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी— रेह तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. सुनील कुमार पुत्र श्री शांति लाल ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी— रेह तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
03. कमला पत्नी स्व0 श्री शांति लाल ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी— रेह तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
04. ग्राम पंचायत दहीमथा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत दहीमथा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
05. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)

—— रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध नामान्तरणकरण संख्या 1989 दिनांक 09/02/2024 ग्राम पंचायत दहीमथा तहसील करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)अपील अन्तर्गत धारा— 75 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

उपस्थित :—

1. श्री अशोक कुमार लखारा —अधिवक्ता अपीलार्थी
2. एकपक्षीय— ——अधिवक्ता प्र.सं.1 से 4
2. पेरोकार सरकार —— प्रत्यर्थी संख्या 5

:: निर्णय ::

दिनांक— 08.09.2025

अपीलार्थी द्वारा ग्राम पंचायत दहीमथा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा के नामान्तरणकरण संख्या 1989 दिनांक 09/02/2024 को निरस्त कराया जाने हेतु अपील इस आशय की पेश कि सरहद दहीमथा पटवार हल्का दहीमथा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बेमाली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे आराजी नम्बर 1014/1 रकबा 0.0379 हैक्टयर गै.मु. औद्योगिक जो कि शांति लाल पुत्र श्री दयाराम ब्राह्मण निवासी— रेह के नाम पर दर्ज रेकार्ड थी। शांति लाल ब्राह्मण का देहान्त हो गया, जिसके विधिक वारीस प्रत्यर्थी संख्या 02 द्वारा अन्य आराजियात के साथ उक्त आराजियात का विरासत से नामान्तरणकरण खोलने हेतु आवेदन किया गया, जिस पर अपीलार्थी द्वारा अपने पदीय कर्तव्य का निर्वहन करते हुए नामान्तरणकरण भरा गया, जिस पर नामान्तरणकरण को ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत किया गया। अपील की चरण सख्या 01 मे वर्णित आराजी जो कि गै.मु. औद्योगिक है, राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप—6) विभाग परिपत्र क्रमांक प. 08(6)राज—8/92—पार्ट/8 जयपुर दिनांक 16/08/2012 के अनुसार "कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण होने के पश्चात भूमि खातेदारो मे से कम किये जाने के प्रावधान है। नामान्तरणकरण का कार्य क्षैत्र खातेदारी भूमि तक ही है। अतः विक्रय, दान, वसीयत, बख्शीश, उत्तराधिकारी द्वारा रूपान्तरित भूमि का हस्तांतरण होने पर नामान्तरण नही किया जावे। इस प्रकार अपील की चरण संख्या 01 मे वर्णित आराजियात का उक्त नामान्तरणकरण जो कि राज्य सरकार के नियमो से परे स्वीकृत हुआ है, इस कारण से उक्त नामान्तरणकरण को अस्वीकृत किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर की गयी व प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किये गये व प्रत्यर्थी संख्या 01 लगायत 04 के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थीगण की बहस सुनी गयी व अपीलार्थी द्वारा अपील मेमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए नामान्तरणकरण खारीज करने हेतु निवेदन किया।

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया, उक्त नामान्तरणकरण जो कि राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग परिपत्र कमांक प.08(6)राज–8/92–पार्ट/8 जयपुर दिनांक 16/08/2012 के अनुसार "कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण होने के पश्चात भूमि खातेदारो मे से कम किये जाने के प्रावधान है। नामान्तरणकरण का कार्य क्षेत्र खातेदारी भूमि तक ही है। अतः विकय, दान, वसीयत, बख्शीश, उत्तराधिकारी द्वारा रूपान्तरित भूमि का हस्तांतरण होने पर नामान्तरण नही किया जावे। जिससे उक्त नामान्तरणकरण पर रोक होने के बावजूद भी नामान्तरणकरण खोला गया इस कारण उक्त नामान्तरणकरण निरस्त किया जाना उचित प्रतित होता है। अतः एवं

:: आदेश ::

अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम पंचायत दहीमथा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा के नामान्तरणकरण संख्या 1989 दिनांक 09/02/2024 को निरस्त किया जाकर सरहद दहीमथा पटवार हल्का दहीमथा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बेमाली तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे आराजी नम्बर 1014/1 रकबा 0.0379 हैक्टयर गै.मु. औद्योगिक के राजस्व रेकार्ड की पूर्ववत स्थिति बहाल करायी जावे। इस निर्णय की पालना मे तहसीलदार, करेड़ा को तहरीर जारी कर पालना सुनिश्चित करायी जावें।

यह निर्णय आज दिनांक 08.09.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(जोगेन्द्र सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा